

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष

2013-14

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम रवि प्रताप श्रेष्ठ वर्तमान धारित पद सहायक जे.पी. 3. कार्यालय का नाम मुख्य अभियंता (परिष्कार) एन.पी.एच. जयपुर
4. वर्तमान वेतन 5. भविष्य निधि क्रमांक 22694607 6. कर्मचारी संख्या 8443462

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टी, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जयपुर जिला खीनाड़ा Local 54/12	नं. 2363/B	—	बीस लाख रुपया	पत्नी के नाम पर लग 2000	25x50' प्लॉट खरीद के लिए लेकर पत्नी के नाम पर मदत माँ के पास 26x50' Local 54/12/15 मौ. प्रताप श्रेष्ठ जयपुर	लग 2000 मे. 1000 रुपया	
जयपुर जिला खीनाड़ा ग्राम रोसा	30' x 50' Plot		एक लाख रुपया	पत्नी के नाम पर श्रीमती बिजो श्रेष्ठ	पत्नी के नाम पर 26x50' Local 54/12/15 मौ. प्रताप श्रेष्ठ जयपुर		पत्नी के नाम पर लग 2000 मे. 1000 रुपया

हस्ताक्षर रवि प्रताप श्रेष्ठ
नाम रवि प्रताप श्रेष्ठ
पद सहायक जे.पी.

- * जहां लागू न हो काट दीजिए
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।

इस कार्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्न - उपरोक्तानुसार